

No.1/2/2017-स्था०.तीन/ २४३-४५

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-तीन

तीसरी मंजिल, सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम, दिल्ली-110066.
दिनांक ६. 10.2021.

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन श्री ईशान श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, को उनके द्वारा छुट्टी रियायत यात्रा गृह नगर ब्लाक वर्ष 2021 के बदले में (भारत भ्रमण) के दौरान New Delhi to Goa दोनों ओर जाने और आने की यात्राओं के लिए रूपए 63000/-(Sixty three thousand Only). की अग्रिम अदायगी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एतद.द्वारा प्रेषित की जाती है । अग्रिम की यह राशि उस अनुमानित राशि के 9/10वें हिस्से तक सीमित है जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अधिकारी को दोनों ओर की यात्रा की लागत के लिए करनी होगी इस अग्रिम का समायोजन अधिकारी के यात्रा भत्ते बिल से किया जाएगा ।

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा :

S.No.	Name	Relation	Age
1	Shri Ishan Srivastava	Self	30 Years
2	Smt. Shivangi Srivastava	Wife	26 Years

1 इनका मूल वेतन रू० 63100/- प्रतिमाह है ।

2 श्री ईशान श्रीवास्तव, सहा० निदेश०, स्थायी है अतः इनसे जमानत लेना आवश्यक नहीं है ।

3 उपरोक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2701;80.General;80.001 D&A; 01.00.01 (NP)वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में समायोजित किया जाएगा ।

भवदीया
06/10/2021
(सीमा जुनेजा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति प्रेषित :

- 1 अनुभाग अधिकारी, लेखा- एक अनुभाग, के० ज० आ०, नई दिल्ली । (दो प्रतियां पी०एफ०एम०एस० सहित)
- 2 ✓ श्री ईशान श्रीवास्तव, सहा० निदेश० पी०ए० (एस०) निदेश० के० ज० आ० नई दिल्ली। अग्रिम लेने के 10 दिन तक की अवधि में यात्रा टिकट सं० व पी० एन० आर० सं० लेखा- एक अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। उनके द्वारा यात्रा भत्ता अग्रिम लेने के 65 दिन की अवधि में यात्रा आरंभ करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा लिया गया अग्रिम एकमुष्ट वापिस करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि यह स्पष्ट हो जाये कि उनके परिवार के सदस्यों की वापसी यात्रा की अवधि 120 दिन से अधिक है तो अग्रिम का आधा भाग तुरंत वापिस करना होगा। यात्रा की समाप्ति से एक महीने के भीतर यात्रा का समायोजन बिल लेखा- एक अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा। इसकी अवहेलना पर जी० पी० एफ० एक प्रतिषेध ब्याज दर के अतिरिक्त 2 प्रतिषेध अधिक दण्डस्वरूप ब्याज देना होगा। यदि समायोजन बिल एक महीने तक न प्रस्तुत किया गया तो इस यात्रा रियायत की हकदारी समाप्त हो जाएगी। उन्हें रसीद/टिकट संख्या व पी० एन० आर० सं० आदि भी बिल के साथ देना होगा।